न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडाजिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–145 / 2021 प्रार्थना पत्र

GCMS No. -2021 / 394

श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी मोहनलाल जी जाति धाकड उम्र 51 साल निवारी बडावली तहसील निम्बाहेडा (राज०)

....................प्रार्थिया

/ / बनाम / /

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा (राज०)

.....................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1–श्री नरेन्द्र वैष्णव–अधिवक्ता प्रार्थी

2–पैरोकार सरकार तहसीलदार –विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक : 31.07.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बडावली पटवार हल्का बडावली तहसील निम्बाहेडा में वर्तमान आराजी नम्बर 47 रकबा 0.8700 हेक्टेयर जिसके पुराने साबिक आराजी नम्बर 12 / 8 रकबा 4 बीघा थे स्थित हैं, इसी प्रकार आवंटन दिनांक से काबिज वर्तमान आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 हेक्टेयर जिसके पुराने साबिक आराजी नम्बर 15 मीन रकबा 40 बीघा5 बिस्वा है।
2. यहकि उक्त मूल साबिक आराजी नम्बर 12 / 8 रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 47 रकबा 0.87 हेक्टेयर हैं, जो कि खातेदार मिठुलाल पिता बोतलाल जी सुथार को आवंटन की गई परन्तु मौके पर कब्जा साबिक आराजी नम्बर 15 मीन रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा में से 4 बीघा पर सौंपा गया जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 हेक्टेयर मे से 0.87 हेक्टेयर भूमि पर मूल आवंटी मिठुलाल पिता बोतलाल जी सुथार को सौंपा गया और उसी अनुसार मौके पर कब्जामूल आवंटी मिठुलाल पिता बोतलाल जी सुथार का कब्जा व आधिपत्य चला [illegible] था।
3. यहकि पूर्व खातेदार मिठुलाल पिता बोतलाल [illegible] तशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से [illegible] विक्रय क[illegible]के पर कब्जा सौंप दिया, तभी से प्रार्थियाका कब्जा वर्तमान आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 हेक्टेयर में [illegible] हेक्टेयर भूमि पर निरन्तर बिना किसी बाधा के [illegible]ा आ रहा है और व[illegible] प्रार्थियाने फसल काश्त कर रखी हैं, इसलिये वर्तमान मौके पर कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 हेक्टेयर में से 0.87 हेक्टेयर भूमि प्रार्थियाके नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर दर्ज की जाना आवश्यक है तथा इसी अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में भी तरमीम की जाना आवश्यक है तथा पूर्व साबिक आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

12/8 मी. रकबा 4 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 47 रकबा 0.87 हेक्टेयर है, उसे राजस्थान सरकार के नाम चरागाह दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

4. यहकि प्रार्थियाने पूर्व साबिक आराजी नम्बर 12/8 मीन रकबा 4 बीघाजिसके वर्तमान आराजी नम्बर 47 रकबा 0.87 हेक्टेयर है, उसके बजाय मौके पर काबिज अनुसार साबिक आराजी नम्बर 15 मीन रकबा 40 बीघा5 बिस्वा में से 4 बीघाजिसके वर्तमान आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 हेक्टेयर है, उसमें से रकबा 0.87 हेक्टेयर भूमि प्रार्थियाके नाम पर राजस्व रेकार्ड में व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु प्रार्थियाने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/291 दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्ताव मय अनुशंषा के साथ प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि पटवार हल्का बडावली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, कनेरा ने अपनी रिपोर्ट मय दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। पटवार हल्का बडावली एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कनेरा की रिपोर्ट अनुसार मौजा बडावली की आराजी नं. 47 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर खातेदार श्रीमती पार्वतीबाई पत्नि मोहनलाल धाकड सा. देह का कब्जा काश्त नहीं है। वर्तमान में खातेदार का कब्जा काश्त मौजा बडावली की आराजी नं. 57 में है। उपस्थित खातेदार एवं मौतबिरान ने बताया कि प्रार्थिया ने उक्त भूमि श्री मिठुलाल पिता बोतलाल सुथार निवासी बडावली से क्रय की है विक्रेता का कब्जा आवंटन के समय से ही वर्तमान आराजी नं. 57 रकबा 8.70 किस्म चारागाह में है तथा यही पर काश्त करते आ रहे है। उपस्थित ने बताया कि वक्त भू–प्रबन्ध के समय नक्शे में तरमीम नही होने के कारण अन्य जगह पर तरमीम हो गई है। खातेदार एवं उपस्थित ने बताया कि श्री मिठुलाल पिता बोतलाल सुथार का कब्जा काश्त यही पर था एवं उसके बाद हमारा कब्जा काश्त है।

6. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम बडावली के साबिक आराजी नम्बर 12/8 रकबा 4 बीघा भूमि श्री मिठुलाल पिता बोतलाल सुथार के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी जिसे प्रार्थिया ने क्रय किया। किन्तु मिठुलाल का कब्जा साबिक आराजी नम्बर 15 मी. रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा में था जो साबिक रिकार्ड में ग्राम बडावली की जमाबंदी संवत 2060–2063 की खाता संख्या 294 में चारागाह दर्ज रिकार्ड थी। [illegible] साबिक आराजी नम्बर 15 मी. के नवीन आराजी नम्बर 57 रकबा 8.70 है[illegible] ब[illegible]कर वर्तमान जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 382 में भी चारागा[illegible] रिकार्ड होकर प्रार्थिया का कब्जा भी इस चारागाह भूमि [illegible] की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 258 में आराजी [illegible] 47 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया श्रीमती पार्वतीदेवी के नाम दर्ज रिकार्ड है जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 12/8 रकबा 4 बीघा से बनी है एवं प्रार्थिया ने भी श्री मिठुलाल पिता बोतलाल से साबिक आराजी नम्बर 12/8 रकबा 4 बीघाही क्रय की थी। इस प्रकार प्रार्थिया का कब्जा अपनी मूल आराजी नम्बर 47 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर नहीं होकर चारागाह आराजी नम्बर 57 के 0.87 हैक्टेयर पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

तहसीलदार, निम्बाहेडा ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौजा बडावली की आराजी नम्बर 47 रकबा 0.87 हैक्टेयर पर खातेदार श्रीमती पार्वतीबाई पत्नि मोहनलाल धाकड का कब्जा काश्त नहीं हैं। वर्तमान में खातेदार पार्वतीबाई पत्नि मोहनलाल धाकड सा.देह का कब्जा चारागाह आराजीनम्बर 57 के रकबा 0.87 हैक्टेयर में है। चूंकि प्रार्थिया का स्वयं की खातेदारी भूमि पर कब्जा नहीं होकर चारागाह भूमि पर कब्जा हैं एवं पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थिया का जिस जगह कब्जा है उससे उनकी स्वयं की खातेदारी भूमि की दूरी लगभग 200 मीटर है। प्रार्थिया द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 136 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी भूमि के बदले कब्जे वाली चारागाह भूमि में खातेदारी दिये जाने बाबत अनुरोध किया हैं किन्तु **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि आवंटन प्रयोजन हेतु प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है।** अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश हैं कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 साबिक रिकार्ड से साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:10:31 IST
Reason: SelfAttested